राजस्थान सरकार
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, जयपुर
(भामाशाह योजना प्रकोष्ठ)

क्रमांक F17(1)/1/ भामाशाह योजना/ डीईएस/2014/ दिनांकः 20.10.2015

निदेशक कोष एवं लेखा,
राजस्थान जयपुर।

विषयः— सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लाभार्थियों को पेंशन राशि का भुगतान करवाने बाबत।

सन्दर्भः— श्रीमान् शासन सचिव, आयोजना का पत्रांक (प्रति संलग्न) दिनांक 17.10.15

महोदय,

विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करें, तदनुसार सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लाभार्थियों को माह अक्टूबर, 2015 की पेंशन नवम्बर माह में भुगतान हेतु सीडिंग व लाभ हस्तांतरण (Transaction) के लक्ष्य दिये गये है।

श्रीमान् शासन सचिव, आयोजना से प्राप्त निर्देशानुसार सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लक्षित लाभार्थियों को सीडिंग के पश्चात माह अक्टूबर, 2015 की पेंशन राशि का भुगतान भामाशाह प्लेटफार्म के माध्यम से सभी जिलों को आवंटित किए गए लक्ष्यों के अनुसार उनके बैंक खाते में करवाया जाना सुनिश्चित करावें।

भवदीय,

संलग्नः उपरोक्तानुसार

(ओम प्रकाश बैरवा)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक F17(1)/1/ भामाशाह योजना/ डीईएस/2014/ दिनांकः 20.10.2015
प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. कोषाधिकारी समस्त जिला, राजस्थान को प्रेषित कर लेख हैं जिला प्रशासन से समन्वय कर न्यूनतम लक्षित लाभार्थियों को उनकी पेंशन बैंक खाते में ही भुगतान करने हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करे।
2. समस्त उपनिदेशक (ACP), सू.प्रौ.एवं संचार विभाग, उपनिदेशक/सहायक निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग।

(राजेन्द्र सिंह तंवर)
संयुक्त निदेशक(भामाशाह

योजना भवन, तिलक मार्ग, जयपुर—302005
फोन—0141—2222740/5167100 फेक्स—0141—2229756